कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 3539/14–1 दिनांक, हरदोई, 20-1-2023

सेवा में,

प्रबन्धक परियोजना,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0,
एस0ए0 72/79, पहली मंजिल,
डी0डी0पुरम बरेली।

विषयः– जनपद हरदोई के अर्न्तगत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा घंटाघर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी0 (चैनेज 0.00 से 2.50 एवं 2.0 किमी0) दांयी पटरी पर (कुल 4.50 किमी0) की दूरी मे गैस पाइप लाईन बिछाये जाने से प्रभावित 0.2475 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे। (प्रस्ताव संख्या–एफ.पी./यू.पी./पाइपलाइन/143184/2021)

सन्दर्भः– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुभाग–2 के कार्यालय लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक–पी–363/81–2–2022–800 (361)/2022, दिनॉक–12–01–2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित एंव आप सहित इस कार्यालय व अन्य को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। सन्दर्भित पत्र द्वारा घंटाघर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी0 (चैनेज 0.00 से 2.50 एवं 2.0 किमी0) दांयी पटरी पर (कुल 4.50 किमी0) की दूरी मे गैस पाइप लाईन बिछाये जाने से प्रभावित 0.2475 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति उ0प्र0शासन द्वारा उल्लिखित शर्तो के अधीन जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र मे उल्लिखित शर्त बिन्दु सं0–1 से लगायत 32 तक के समस्त शर्तो पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही उ0प्र0शासन द्वारा बिधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दिनॉक–24–09–2022 में उल्लिखित बिन्दु सं0–30 के अनुपालन मे ई–पेमेन्ट से ई–चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड मे जमा की जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार हैः–

30– प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि–क्षेत्रफल–0.2475हे0X957780.0 (प्रति हे0 संशोधित दर)= रू0–**2,37,051.0** को ऑनलाइन ई–पोर्टल पर चालान के माध्यम कैम्पा खाते मे जमा कर ऑनलाइन ई–रसीद की प्रति मूल मे उपलब्ध होगा।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बिन्दु सं0–30 एन.पी.वी. की धनराशि रु0–237051.0 को आनलाइन पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से कैम्पा खाते मे जमा कर आनलाईन ई–रसीद व बिन्दु सं0–1 से लगायत 32 तक के समस्त शर्तो पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूल मे (05 प्रतियो मे) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(रविशंकर शुक्ल)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रांकः–................/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।

(रविशंकर शुक्ल)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।